




झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP919980

9/22/2020



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-03		
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	24	पृष्ठ संख्या वर्तमान	17	धाना न.	51		
वर्तमान(VOL)									
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व धाना न.	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिपूत जिसमें नामांतरण संबंधित है	कारोबार विस्तृत सूचना	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति	
9980	217 /R27 2020 - 2021	धनबाद/ 51	झारिया	25/06/2020	By Sale Registration Deed 3061 Dated 08/06/2019	खाता न. 0 वर्तमान 2 वर्तमान 272	खाता न. 0 प्लॉट न. 3839.4549.12 डिसमील	10	
क्रेता का नाम : (DEEPAK CHOPRA/पिता-LT. BRIJ MOHAN CHOPRA, जाति-----, पता-CHOPRA HOUSE NO-21 FATEHPUR JHARIA , DHANBAD)		जमाबंदी रैयत का नाम : बृज मोहन चौपडा -पिता-स्व राम धन चौपडा				विक्रेता का नाम : SRIMATI SUDARSHAN CHOPRA, पति-LT. BRIJ MOHAN CHOPRA, जाति-----, पता-CHOPRA HOUSE NO-21 FATEHPUR JHARIA , DHANBAD			
राजस्व कर्मचारी हलका-03 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाथं हस्तान्तरित। यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।						Signature valid  Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद			



## आदेश

तिथि  
Jun 25 2020

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धनबाद थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
0	3839,4549	0 एकड़, 4.12 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRIMATI SUDARSHAN CHOPRA	पति	LT. BRIJ MOHAN CHOPRA

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3061 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
बृज मोहन चौपडा	पिता	स्व राम धन चौपडा

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुशंसा किया जाता है अतः दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **10 रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद